

# PA-ADME Audit Party No. 1 (Lead Party)

- न्य दृष्टि नं.: 1.Sh. Santosh Pathak/Sr AO (01/6219)  
 2.Sh. Anilendra Awasthi/AAO (02/10512)  
 3.Sh. Ajay Kumar Vyas/AAO (02/10361)  
 4.Sh. Ajit Singh Tomar/AAO (02/10577)

०-	दृष्टि क्रमांक;	दृष्टि नंबर	विवरण
i LFku% Hkkjky		fnukd 27-06-21	
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	10	28.06.2021 से 09.07.2021
i LFku% jhok		fnukd 10-07-21	
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	14	12.07.2021 से 30.07.2021
i LFku% Xokfy; j		fnukd 30-07-2021 तक 31-07-2021	
Total days		24	
अवकाश :— जून-27 जुलाई— 3,4,10,11,17,18,21,24,25,31			

टीप-

- पी.ए के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक की होगी।
- लेखा परीक्षा दल द्वारा समीक्षा से सम्बन्धित अनुमोदित ए.डी.एम. गार्ड लाइन के अनुसार औषधि एवं उपकरणों की चिकित्सा संस्थानों में कय, उपयोग, उपलब्धता, भण्डारण, आदि के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उनका विस्तृत विश्लेषण मुख्यालय पर किया जावेगा। समीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजीयाँ, क्रय आदेश, टेस्ट रिपोर्ट, चालान, इनवॉइस, इस्यू वाउचर, इनडेण्ट, नोटशीट, नस्ती आदि के अतिरिक्त MIS, E-Aushadhi Portal से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करें।
- डॉक्टर सर्वे, पैंडेंट सर्वे, ए.डी.एम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिष्ठित करें।
- भण्डारों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना एवं दवाईयों का भण्डार में प्राप्ति/वितरण की जांच सुनिष्ठित करें।
- प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
- PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्रित करें एवं पी.ए से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजीयाँ, फाइलें, कार्य पंजीयों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करें।
- PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
- PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- पी.ए की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट/Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिष्ठित करें।
- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.
- Party is directed to collect information/data from the units without issuing Memos (HM) and will thereafter do the data analysis at headquarter.
- The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time. If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

विवरण: i LFku% egkysfkkdkj ds vknk fnukd 25-06-2021)

s.d./-  
उप महालेखाकार  
एएमजी-2

## PA-ADME Audit Party No. 2

- न्य दृष्टि का समिति के द्वारा नियुक्त होने वाले अधिकारी की सूची:
- 1.Sh. R K Arora /Sr AO (01/10117 )
  - 2.Sh. Gautma Verma/AAO ( 02/6752)
  - 3.Sh. Rajesh Kumar/AAO (02/11072)
  - 4.Sh. N C Meena/AAO (02/10654)

क्र.	दृष्टि का समिति के द्वारा नियुक्त होने वाले अधिकारी की सूची	दृष्टि का समिति के द्वारा नियुक्त होने वाले अधिकारी की सूची	दृष्टि का समिति के द्वारा नियुक्त होने वाले अधिकारी की सूची
नियुक्ति की तिथि			नियुक्ति की तिथि
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	10	28.06.2021 से 09.07.2021
नियुक्ति की तिथि			नियुक्ति की तिथि
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	14	12.07.2021 से 30.07.2021
नियुक्ति की तिथि			नियुक्ति की तिथि
	Total days	24	
अवकाश :— जून-27 जुलाई— 3,4,10,11,17,18,21,24,25,31			

टीप-

- पी.ए के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक की होगी।
- लेखा परीक्षा दल द्वारा समीक्षा से सम्बन्धित अनुमोदित ए.डी.एम. गार्ड लाइन के अनुसार औषधि एवं उपकरणों की चिकित्सा संस्थानों में क्रय, उपयोग, उपलब्धता, भण्डारण, आदि के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उनका विस्तृत विश्लेषण मुख्यालय पर किया जावेगा। समीक्षा से सम्बन्धित आवंटन—व्यय, बैंक लेन—देन, रोकड़ बही, पंजीयाँ, क्रय आदेश, टेस्ट रिपोर्ट, चालान, इनवॉइस, इस्यू वाउचर, इनडेण्ट, नोटशीट, नस्ती आदि के अतिरिक्त MIS, E-Aushadhi Portal से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करेंगे।
- डॉक्टर सर्वे, पैंपंट सर्वे, ए.डी.एम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिष्ठित करें।
- भण्डारों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना एवं दवाईयों का भण्डार में प्राप्ति/वितरण की जांच सुनिष्ठित करें।
- प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई—मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई—मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
- PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्रित करेंगे एवं पी.ए से संबंधित आवंटन—व्यय, बैंक लेन—देन, रोकड़ बही, पंजीयाँ, फाइलें, कार्य पंजीयाँ के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
- PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
- PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- पी.ए की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट/Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिष्ठित करें।
- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.
- Party is directed to collect information/data from the units without issuing Memos (HM) and will thereafter do the data analysis at headquarter.
- The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time. If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

विवरण का समिति के द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट/Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिष्ठित करें।

S.D./-  
उप महालेखाकार  
एमजी-2

**PA-ADME Audit Party No. 3**

- न्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित वर्षों की अधिकारी की जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक की विस्तृत विश्लेषण मुख्यालय पर किया जावेगा।
- 1.Sh. Kaushal Kishore/Sr AO (01/6399)
  - 2.Sh. Anshul Singh/AAO (02/10972)
  - 3.Sh. Rajesh Kumar/AAO (02/6769)
  - 4.Sh. Deepak Singh/Ar (04/11395)

Ø-	dk; kly;	dk; lfnol	vof/k
i LFku%Xokfy; j	fnukd 28-06-21 i kr%		
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	10	28.06.2021 से	09.07.2021
i LFku% Nrij i j	fnukd 10-07-21		
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	14	12.07.2021 से	30.07.2021
i LFku% Xokfy; j	fnukd 30-07-2021 ½ kf=½@31-07-2021		
Total days	24		
अवकाश :- जून-27 जुलाई- 3,4,10,11,17,18,21,24,25,31			

टीप-

- पी.ए के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक की होगी।
- लेखा परीक्षा दल द्वारा समीक्षा से सम्बन्धित अनुमोदित ए.डी.एम. गाईड लाइन के अनुसार औषधि एवं उपकरणों की चिकित्सा संस्थानों में क्य, उपयोग, उपलब्धता, भण्डारण, आदि के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उनका विस्तृत विश्लेषण मुख्यालय पर किया जावेगा। समीक्षा से सम्बन्धित आवंटन—व्यय, बैंक लेन—देन, रोकड़ बही, पंजीयाँ, क्य आदेश, टेस्ट रिपोर्ट, चालान, इनवॉइस, इस्पू वाउचर, इनडेण्ट, नोटशीट, नस्ती आदि के अतिरिक्त MIS, E-Aushadhi Portal से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करेंगे।
- डॉक्टर सर्वे, पैंथेट सर्वे, ए.डी.एम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिष्ठित करें।
- भण्डारों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना एवं दवाईयों का भण्डार में प्राप्ति/वितरण की जांच सुनिष्ठित करें।
- प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई—मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई—मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
- PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्रित करेंगे एवं पी.ए से संबंधित आवंटन—व्यय, बैंक लेन—देन, रोकड़ बही, पंजीयाँ, फाइलें, कार्य पंजीयों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेंगा।
- PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
- PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- पी.ए की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट/Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिष्ठित करें।
- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.
- Party is directed to collect information/data from the units without issuing Memos (HM) and will thereafter do the data analysis at headquarter.
- The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time. If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

½ kf/kdkj%&i lkku egkyfkkdkj ds vkn's k fnukd 25-06-2021)

s.d./-  
उप महालेखाकार  
एमजी-2

# PA-ADME Audit Party No. 4

न्य दृष्टि नं.: 1.Sh. Rakesh Srivastava/Sr AO (01/6751)

2.Sh. S K Misra/AAO (02/10384)

3.Sh. B L Meena/AAO (02/10581)

ठोस	दृष्टि क्रमांक	दृष्टि नं.	वितरण क्रमांक
i LFku%kkj		fnukd 27-06-21	
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	10	28.06.2021 से 09.07.2021
i LFku&cMokuh		fnukd 10-07-21	
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	14	12.07.2021 से 30.07.2021
i LFku%Xokfy; j		fnukd 30-07-2021 तक 31-07-2021	
Total days	24		
अवकाश :— जून—27 जुलाई— 3,4,10,11,17,18,21,24,25,31			

टीप-

- पी.ए के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक की होगी।
- लेखा परीक्षा दल द्वारा समीक्षा से सम्बन्धित अनुमोदित ए.डी.एम. गार्ड लाइन के अनुसार औषधि एवं उपकरणों की चिकित्सा संस्थानों में कय, उपयोग, उपलब्धता, भण्डारण, आदि के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उनका विस्तृत विश्लेषण मुख्यालय पर किया जावेगा। समीक्षा से सम्बन्धित आवंटन—व्यय, बैंक लेन—देन, रोकड़ बही, पंजीयाँ, कय आदेश, टेस्ट रिपोर्ट, चालान, इनवॉइस, इस्यू वाउचर, इनडेण्ट, नोटशीट, नस्ती आदि के अतिरिक्त MIS, E-Aushadhi Portal से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करें।
- डॉक्टर सर्वे, पैंथेंट सर्वे, ए.डी.एम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिष्ठित करें।
- भण्डारों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना एवं दवाईयों का भण्डार में प्राप्ति/वितरण की जांच सुनिष्ठित करें।
- प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई—मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई—मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
- PA दल PA से सबधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्रित करें एवं पी.ए से संबंधित आवंटन—व्यय, बैंक लेन—देन, रोकड़ बही, पंजीयाँ, फाइलें, कार्य पंजीयों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
- PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
- PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- पी.ए की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट/Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिष्ठित करें।
- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.
- Party is directed to collect information/data from the units without issuing Memos (HM) and will thereafter do the data analysis at headquarter.
- The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time. If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

ि क्र/क्रक्षि %& i िक्कु एक्सिक्यूटिव क्रक्षि क्रक्षि fnukd 25-06-2021)

s.d./-  
उप महालेखाकार  
एमजी-2

## **PA-ADME Audit Party No. 5**

ny ds l nL: 1.Sh. Nawal Kishore/Sr AO( 01/10304)  
2.Sh. Rakesh Kr Singh Chauhan/AAO (02/6193)  
3.Sh. Arvind Yadav/AAO (02/10582)  
4.Sh. Bharat Patel/AAO (02/11087)

Ø-	dk; kly;	dk; l fnol	vof/k
i LFku% tcyij	fnukd 27-06-21		
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	10	28.06.2021 से	09.07.2021
i LFku% eMyk	fnukd 10-07-21		
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	14	12.07.2021 से	30.07.2021
i LFku% Xokfy; j	fnukd 30-07-2021 ॥jkf=॥@31-07-2021		
Total days	24		
अवकाश :- जून-27 जुलाई- 3,4,10,11,17,18,21,24,25,31			

टीप-

- पी.ए के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक की होगी।
  - लेखा परीक्षा दल द्वारा समीक्षा से सम्बन्धित अनुमोदित ए.डी.एम. गाईड लाइन के अनुसार औषधि एवं उपकरणों की चिकित्सा संस्थानों में कय, उपयोग, उपलब्धता, भण्डारण, आदि के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उनका विस्तृत विश्लेषण मुख्यालय पर किया जावेगा। समीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजीयाँ, कय आदेश, टेस्ट रिपोर्ट, चालान, इनवॉइस, इस्यू वाउचर, इनडेण्ट, नोटशीट, नस्ती आदि के अतिरिक्त MIS, E-Aushadhi Portal से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करें।
  - डॉक्टर सर्वे, पैंथंट सर्वे, ए.डी.एम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिष्ठित करें।
  - भण्डारों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना एवं दवाईयों का भण्डार में प्राप्ति/वितरण की जांच सुनिष्ठित करें।
  - प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
  - PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्रित करेंगे एवं पी.ए से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजीयाँ, फाइलें, कार्य पंजीयों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
  - PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
  - PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
  - पी.ए की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट/Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिष्ठित करें।
  - Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.
  - Party is directed to collect information/data from the units without issuing Memos (HM) and will thereafter do the data analysis at headquarter.
  - The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time. If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

1/1 kf/kdkj % i /kku egkys[ kdkj ds vkn's k fnukad 25-06-2021)

s.d./-

# PA-ADME Audit Party No. 6

- न्य दृष्टि का सम्बन्धीय विषयालय :-
1. Sh. Uday Gwalekar/Sr AO (01/5809)
  2. Sh. S K Agarwal/AAO (02/6398)
  3. Sh. Jay Prakash/AAO (02/10963)
  4. Sh. Krishna Sagar/DEO (05/111)

क्रमांक	विषयालय	दृष्टि का सम्बन्धीय विषयालय	दृष्टि का सम्बन्धीय विषयालय
	अधिकारी गजरा राजा मेडिकल कालेज ग्वालियर, संयुक्त संचालक सह अधिकारी जयरोग्य हास्पिटल ग्वालियर	10	28.06.2021 से 09.07.2021
	अधिकारी शासकीय मेडिकल कालेज रतलाम	14	12.07.2021 से 30.07.2021
	अधिकारी गजरा राजा मेडिकल कालेज ग्वालियर	24	
Total days			
अवकाश :-	जून-27 जुलाई- 3,4,10,11,17,18,21,24,25,31		

टीप-

- पी.ए के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक की होगी।
- लेखा परीक्षा दल द्वारा समीक्षा से सम्बन्धित अनुमोदित ए.डी.एम. गाईड लाइन के अनुसार औषधि एवं उपकरणों की चिकित्सा संस्थानों में कथ, उपयोग, उपलब्धता, भण्डारण, आदि के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उनका विस्तृत विश्लेषण मुख्यालय पर किया जावेगा। समीक्षा से सम्बन्धित आवंटन—व्यय, बैंक लेन—देन, रोकड़ बही, पंजीयाँ, कथ आदेश, टेस्ट रिपोर्ट, चालान, इनवॉइस, इस्यू वाउचर, इनडेण्ट, नोटशीट, नस्ती आदि के अतिरिक्त MIS, E-Aushadhi Portal से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करेंगे।
- डॉक्टर सर्वे, पेंचंट सर्वे, ए.डी.एम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिष्चित करें।
- भण्डारों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना एंव दवाईयों का भण्डार में प्राप्ति/वितरण की जांच सुनिष्चित करें।
- प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
- PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्रित करेंगे एवं पी.ए से संबंधित आवंटन—व्यय, बैंक लेन—देन, रोकड़ बही, पंजीयाँ, फाइलें, कार्य पंजीयों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
- PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
- PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- पी.ए की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट/Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिष्चित करें।
- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.
- Party is directed to collect information/data from the units without issuing Memos (HM) and will thereafter do the data analysis at headquarter.
- The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time. If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

विवरणीय कार्यक्रम का सम्पादन 25-06-2021

S.D./-  
उप महालेखाकार  
एएमजी-2

# PA-ADME Audit Party No. 7

- ny ds l nL; 1.Sh. Shyamacharan/Sr AO (01/6567)  
 2. Sh. Pramod Chaurasia/AAO (02/6430)  
 3. Sh. Ratan Lal Bagariya/AAO (02/10588)  
 4. Sh. Devi Singh Meena/AAO (02/11463)

Ø-	dk; kly;	dk; l fnol	vof/k
i LFku% Hkkjky		fnukd 27-06-21	
	अधिष्ठाता गांधी मेडिकल कालेज भोपाल, संयुक्त संचालक सह अधिक्षक हमीदीया हास्पिटल भोपाल एवं सहायक अधीक्षक, सुल्तानिया हॉस्पीटल, भोपाल	10	28.06.2021 से 09.07.2021
i LFku% fNnokMk		fnukd 10-07-21	
	अधिष्ठाता शासकीय मेडिकल कालेज, छिंदवाड़ा	14	12.07.2021 से 30.07.2021
i LFku%okfy; j		fnukd 30-07-2021 %j kf=%@31-07-2021	
Total days		24	
अवकाश :- जून-27 जुलाई- 3,4,10,11,17,18,21,24,25,31			

टीप-

- पी.ए के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक की होगी।
- लेखा परीक्षा दल द्वारा समीक्षा से सम्बन्धित अनुमोदित ए.डी.एम. गार्ड लाइन के अनुसार औषधि एवं उपकरणों की चिकित्सा संस्थानों में क्य, उपयोग, उपलब्धता, भण्डारण, आदि के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उनका विस्तृत विश्लेषण मुख्यालय पर किया जावेगा। समीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजीयाँ, क्य आदेश, टेस्ट रिपोर्ट, चालान, इनवॉइस, इस्यू वाउचर, इनडेण्ट, नोटशीट, नस्ती आदि के अतिरिक्त MIS, E-Aushadhi Portal से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करेंगे।
- डॉक्टर सर्वे, पेंषट सर्वे, ए.डी.एम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिष्ठित करें।
- भण्डारों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना एवं दवाईयों का भण्डार में प्राप्ति/वितरण की जांच सुनिष्ठित करें।
- प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
- PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्रित करेंगे एवं पी.ए से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजीयाँ, फाइलें, कार्य पंजीयों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
- PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
- PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- पी.ए की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट/Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिष्ठित करें।
- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.
- Party is directed to collect information/data from the units without issuing Memos (HM) and will thereafter do the data analysis at headquarter.
- The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time. If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

%i kf/kdkj%&i i/kku egkys[kkdkj ds vkn's k fnukd 25-06-2021)

s.d./-  
 उप महालेखाकार  
 एमजी-2